

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय, हापुड़ की अध्यक्षता में गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" (DWSM) समिति की दिनांक 27.08.2021 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

जिलाधिकारी महोदय, हापुड़ की अध्यक्षता में गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति की बैठक सदस्य सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन हापुड़ के पत्रांक 1520/सा0-7/85 दिनांक 21.08.2021 द्वारा दिनांक 27.08.2021 को आयोजित की गयी।

बैठक में निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

- | | |
|---|--------------|
| 1. मुख्य विकास अधिकारी | — उपाध्यक्ष |
| 2. जिला विकास अधिकारी | — सदस्य |
| 3. प्रभागीय वनाधिकारी स्वयं अथवा उनके द्वारा नमित सदस्य | — सदस्य |
| 4. जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, | — सदस्य |
| 5. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, | — सदस्य |
| 6. अधिशासी अभियन्ता वाटर रिसोर्सेस/सिंचाई | — सदस्य |
| 7. अधिशासी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर, | — सदस्य |
| 8. जिला कृषि अधिकारी, | — सदस्य |
| 9. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, | — सदस्य |
| 10. जिला पंचायत राज अधिकारी, | — सदस्य |
| 11. अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0, उ0प्र0 जल निगम, हापुड़ | — सदस्य सचिव |
| 12. तहसीलदार, तहसील हापुड़/धौलाना/गढ़मुक्तेश्वर। | |

सदस्य सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन हापुड़ द्वारा प्रस्तुत किये गये एजेण्डा नोट का बिन्दुवार विवरण निम्नवत् है:-

एजेण्डा बिन्दु संख्या -01 (भूमि की उपलब्धता) :-

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद हापुड़ के अन्तर्गत वर्तमान में 241 ग्रामों में से 179 ग्रामों में पेयजल योजना के निर्माण हेतु भूमि प्राप्त हो चुकी है। निर्देश दिये गये कि शेष 62 ग्रामों में पेयजल योजना के निर्माण हेतु ग्राम समाज की निशुल्क भूमि उपलब्ध कराने हेतु फर्म द्वारा सम्बन्धित तहसीलदार से व्यक्तिगत सम्पर्क कर भूमि उपलब्ध करने हेतु प्रयास किये जायें।

(कार्यवाही- समस्त उपजिलाधिकारी)

N

एजेण्डा बिन्दु सं०-०२ (डी०पी०आर० विरचन का कार्य) :-

जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की दिनांक दिनांक 07.06.2021, दिनांक 24.06.2021 एवं दिनांक 20.07.2021 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति की बैठक में क्रमशः 15 नग, 30 नग एवं 22 नग पेयजल योजनाओं की डी०पी०आर० संस्तुति कर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रेषित कर दी गई थी। निर्देश दिये गये कि डी०पी०आर० की संख्या को संचयी रूप से प्रस्तुत किया जाये। रू० 6000.00 से अधिक प्रति व्यक्ति लागत वाली डी०पी०आर० का पुनरीक्षण टी०पी०आई० द्वारा करा लिया जाये। जनपद स्तर पर डी०पी०आर० की प्रति व्यक्ति लागत रू० 6000.00 रहनी उचित होगी। निर्देश दिये गये कि लघु सिंचाई विभाग से डी०पी०आर० की जांच कराकर, रू० 6000.00 प्रति व्यक्ति लागत वाली डी०पी०आर० को अन्तिम रूप देकर लखनऊ प्रेषित किया जाये। जिन योजनाओं में प्रति व्यक्ति लागत रू० 6000.00 से अधिक है, उन डी०पी०आर० की जांच की जाये एवं अनावश्यक अवयवों को हटाकर, डी०पी०आर० पुनः तैयार करायी जाये।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/ मै० एल०सी० इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, अहमदाबाद)

एजेण्डा बिन्दु सं०-०३ (अनुबन्ध गठन की कार्यवाही) :-

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार की महत्वकांक्षी योजना "जल जीवन मिशन कार्यक्रम" के अन्तर्गत जनपद हापुड़ के प्रत्येक ग्राम में हर घर नल से जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्रामीण पेयजल योजना हेतु एक त्रिपक्षीय अनुबन्ध गठित किया जाना है, जिसमें सदस्य सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (प्रथम पक्ष), ग्राम पंचायत सचिव ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (द्वितीय पक्ष) एवं कार्यदायी फर्म (तृतीय पक्ष) के रूप में कार्य करेंगी। राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठक में जनपद हापुड़ के 44 नग ग्रामों में ग्रामीण पेयजल योजना के निर्माण हेतु डी०पी०आर० स्वीकृत हो चुकी हैं, जिसके सापेक्ष 31 नग ग्रामों में त्रिपक्षीय अनुबन्ध गठन की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/ मै० एल०सी० इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, अहमदाबाद)

एजेण्डा बिन्दु सं०-०४ (ISA) :-

दोनों एजेन्सियों द्वारा अवगत कराना है कि अनुबन्ध गठित होने के पश्चात् एजेंसी द्वारा केवल 45 ग्रामों के VAP तैयार किये गये हैं एवं 45 नग कर्मचारी उक्त कार्य हेतु कार्यरत हैं। एजेन्सियों को निम्न निर्देश दिये गये वी०ए०पी० से सम्बन्धित समस्त विवरण शेयर किये जायें तथा जिला पंचायत राज अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी तथा सहायक विकास अधिकारी (पं०) को

५१

सामुहिक कार्यक्रम में आमन्त्रित किया जाये, जिससे जनजागरूकता कार्यक्रम बेहतर एवं प्रभावशाली रूप से संचालित हो सके। जिलाधिकारी महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि ISA द्वारा VWSC एवं VAP के सम्बन्ध में एक विस्तृत presentation तैयार किया जाये, जिससे इस सम्बन्ध में भली भाँति जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त presentation तैयार करने हेतु किसी बड़े ग्राम को सैम्पल के रूप में सम्मिलित किया जाये।

एजेंसियों को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही— अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/ISA)

एजेण्डा बिन्दु संख्या— 05 :—जल जीवन मिशन (100 दिन का अभियान) —

कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि०, निर्माण इकाई—5, गाजियाबाद के कोई भी अधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं थे। नाराजगी व्यक्त करते हुए स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही— बेसिक शिक्षा अधिकारी/ उ०प्र० प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि०)

एजेण्डा बिन्दु संख्या 06 :— थर्ड पाटी (TPI) द्वारा पेयजल योजनाओं पर कराये जा रहे निरीक्षण की प्रगति:—

थर्ड पाटी निरीक्षण हेतु निर्धारित एजेंसी मै० आरवी एसोसिएट्स, आर्किटेक्ट इंजीनियर्स एण्ड कन्सलटेन्ट प्रा०लि०, खुला रेसीडेन्सी, श्रीनगर रोड, मैन कॉलोनी, हैदराबाद को नामित किया गया है, जिनके द्वारा यू०पी०पी०सी०एल एवं उ०प्र० जल निगम द्वारा कराये जा रहे कार्यों का थर्ड पार्टी निरीक्षण किया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि थर्ड पाटी एजेंसी द्वारा भी विस्तृत रूप से उक्त कार्य के सम्बन्ध में एक presentation तैयार किया जाये तथा उसमें योजना की प्रति व्यक्ति लागत कम कराने हेतु उपायों का भी उल्लेख किया जाये।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 05 :— अनुरक्षणाधीन ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर कराये जा रहे कार्य (रेट्रोफिटिंग):—

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद हापुड़ में स्वीकृत 62 नग ग्रामीण पेयजल योजनाओं में से 47 नग ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर कार्य पूर्ण हो चुके हैं। निर्देश दिये गये कि शेष 15 पेयजल योजनाओं को भी यथाशीघ्र पूर्ण कर लिया जाये।

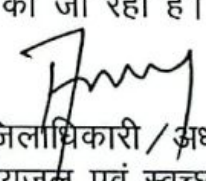
(कार्यवाही— अधिशासी अभियन्ता, जल निगम)

लगभग 10 दिन पश्चात् जिलाधिकारी महोदय द्वारा पुनः एक जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति की बैठक कराने हेतु निर्देश दिये गये, जिसमें कि विस्तृत रूप से ठेकेदार फर्म, थर्ड पार्टी एजेंसी, आई0एस0ए0 एवं यू0पी0पी0सी0एल0 अपना-अपना पक्ष presentation के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे।

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 को क्रॉस चैक करने हेतु लघु सिंचाई विभाग एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग को निर्देशित किया गया। लघु सिंचाई विभाग एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा डी0पी0आर0 चैक करने के उपरान्त निम्नवत् डी0पी0आर0 उपयुक्त पाई गई। विवरण निम्नवत् है:-

क्र. सं.	योजना का नाम	ब्लॉक का नाम	योजना में सम्मिलित ग्रामों की सं०	योजना में प्राविधानित FHTC की सं०	वर्क कॉस्ट (लाख)	सेंटेज (लाख)	कुल लागत (लाख)	प्रति व्यक्ति लागत अभिकल्पित वर्ष (रु.)
1	कनिया कल्याणपुर	सिम्भावली	1	660	275.23	30.72	305.95	4665
2	मुबारकपुर सलामतपुर - शकरपुर	सिम्भावली	1	691	358.48	40.01	398.49	4939
3	फतेहपुर मतनौरा	सिम्भावली	1	494	289.95	32.36	322.31	5892
4	अनूपपुर डिवाई	गढ़मुक्तेश्वर	1	696	362.81	40.49	403.30	4647
5	हसुपुरा	गढ़मुक्तेश्वर	1	687	302.95	33.81	336.76	5347
		कुल योग	5	3228			1766.81	5098

जनपद हापुड़ के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई 24 नग डी0पी0आर0 में से उपरोक्त 05 नग डी0पी0आर0 (अनुमानित लागत रू० 1766.81 लाख) जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति द्वारा संस्तुति सहित राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ को प्रेषित की जा रही है।


 जिलाधिकारी/अध्यक्ष
 "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन"
 समिति हापुड़



पत्रांक:- 1577 / प्रौ-62 / 102

दिनांक:- 31.08.2024

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-

1. प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित
2. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 जल निगम कम्पाउण्ड, 6-राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
5. मुख्य अभियन्ता (गा0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम, गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
6. अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, हापुड़ को सूचनार्थ प्रेषित।
7. मुख्य विकास अधिकारी, हापुड़।
8. जिला विकास अधिकारी, हापुड़।
9. जिला वनाधिकारी, हापुड़।
10. जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हापुड़।
11. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हापुड़।
12. अधिशासी अभियन्ता वाटर रिसोर्सेस/सिंचाई, हापुड़।
13. अधिशासी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर, हापुड़।
14. जिला कृषि अधिकारी, हापुड़।
15. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, हापुड़।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन"
समिति हापुड़

06

